न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील संख्या 28/2011/90–बी/अजमेर

1. गंगाराम पुत्र रूडाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम रामकुई, तहसील व जिला जयपुर।
2. बनवारी पुत्र सेडूराम वर्मा जाति बलाई निवासी ग्राम केसा का बास, पेस्ट करणसर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. मूलचन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति धोबी, निवासी करणसर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. ममता डेबाना पत्नी श्री भगवती प्रसाद जाति बलाई, निवासी पालबीचला अजमेर
2. नगर पालिका, पुष्कर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

–––

अपील विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 25–2–2008 प्रकरण संख्या 4/2007 अन्तर्गत धारा 90–बी (7) राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––––

उपस्थित– श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांकः– 29–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पुष्कर तहसील व जिला अजमेर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 213 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 213 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में से खसरा नम्बर 213/2 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार मीरा देवी पत्नी गोपीराम बलाई थी जिसने विवादग्रस्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व खातेदारों से क्रय की थी। तत्पश्चात मीरा देवी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–6–2007 द्वारा अपीलांट संख्या 1 को 4 लाख रूपयें में बेचान कर दी तथा विवादग्रस्त आराजियात का कब्जा अपीलांट संख्या 1 को संभला दिया तब से उक्त भूमि पर अपीलांट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ

रहा है। मीरा देवी ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करने के पश्चात विवादग्रस्त आराजियात को पुनः दिनांक 13–7–2007 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दो अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा बिना कब्जे के अवैध रूप से बेचान कर दी जबकि दिनांक 13–6–2007 के पश्चात मीरा देवी के विवादग्रस्त आराजियात पर सभी हक व अधिकार समाप्त हो चुके थे। मीरा देवी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र अवैध व शून्य है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 13–7–2007 के द्वारा नायब तहसीलदार पुष्कर से नामान्तरकरण संख्या 938 दिनांक 6–8–2007 को स्वीकृत करवा लिया जिसको अपीलांट्स ने सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 213/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को वह आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नियमन करवाना चाहती है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत उक्त खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकारों का पर्यावसन कर इसे राजहित में पुनग्रहित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवश्यक प्रक्रिया अपनाए बिना एवं पूर्ण रूप से जांच किये बिना अपने आदेश दिनांक 25–2–2008 द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 213/3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से खातेदार के खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर उसे राजहित में पुर्नग्रहित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब कर बहस सुनी गई।

रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता ने बरवक्त बहस एक प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई स्थगित करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय अपीलार्थीगण पक्षकार से मिलकर सुनवाई कर रहे है। इसलिए न्याय की आशा नहीं है अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश करना है। रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी ने निगरानी में बहस नहीं करने की अण्डरटेकिंग मौखिक दी थी, उसके बावजूद भी इस प्रकरण में बहस कर रहे है। निगरानी राजस्व मण्डल में मय स्थगन प्रार्थना पत्र आज दिनांक 27–9–17 को पेशी पर थी जिसमें वकील अपीलार्थी ने समय चाहा है यह निगरानी संख्या 5679/17 है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 3–10–17 की नियत है। अतः निवेदन है कि उक्त कारण से आज इस प्रकरण में स्थगन (adjonment) प्रदान किया जावे। प्रत्यर्थी अधिवक्ता के इस प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। पत्रावली दिनांक 15–11–2011 से लगातार बहस में नियत चली आ रही है। प्रकरण 2011 अर्थात 6 वर्ष पुराना है। प्रत्यर्थी ने जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब

करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली दिनांक 15–11–2011 से लगातार बहस में नियत चली आ रही है। प्रकरण 2011 अर्थात 6 वर्ष पुराना है। प्रत्यर्थी ने जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा अपीलार्थी अधिकता की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने अस्पष्ट आदेश द्वारा धारा 90–बी भू–राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि से खातेदार के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर उसे राजहित में पुर्नग्रहित करने का आदेश पारित कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त आराजियात की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार मीरा देवी पत्नी गोपीराम बलाई थी जिसने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पूर्व खातेदारों से क्रय की थी। तत्पश्चात मीरा देवी ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–6–2007 द्वारा अपीलांट संख्या 1 को 4 लाख रूपये में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से लेकर आदिनांक तक अपीलांट संख्या 1 को कब्जा काश्त चला आ रहा है। मीरा देवी पत्नी गोपीराम ने उक्त भूमि अपीलांट को विक्रय करने के पश्चात विवादग्रस्त आराजियात को पुनः दिनांक 13–7–2007 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दो अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा बिना कब्जे के अवैध रूप से बेचान कर दी जबकि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट संख्या 1 को दिनांक 13–6–2007 के पश्चात मीरा देवी के सभी हक अधिकार समाप्त हो चुके थे। विवादग्रस्त आराजियात दिनांक 13–6–2007 के पश्चात मीरा देवी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र अवैध व शून्य है। पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को विवादग्रस्त आराजियत में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय , उच्च न्याालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने नजीरों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य है। अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय की नजीरे भी प्रस्तुत की गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादग्रस्त आराजियात का इन्द्राज अपने नाम भी करवा लिया है तो भी वह शून्य है उक्त शून्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। विवादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का न तो कभी कब्जा काश्त रहा उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्राधिकृत अध्किाारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना आवश्यक प्रकिया अपनाए पूर्ण जांच किये आदेश दिनांक25–2–2008 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलांट संख्या 1 को आदेश पारित करने से पूर्व सूचना नहीं दी एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा मौके की स्थिति की जांच नहीं की कि किन पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। उनके द्वारा समस्त कार्रवाई न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत अवैध नामान्तरकरण संख्या 938 दिनांक 6–8–2007 के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलांट के पक्ष में प्रारम्भ में स्थगन आदेश भी जारी किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बरवक्त बहस न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 45/2011 गंगाराम व अन्य बनाम ममता डेबाना व अन्य में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 23–11–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। जिसमें जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपीलार्थी गंगाराम की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 938 दिनांक 6–8–2007 एवं उसके पश्चात पारित समस्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाकर निर्देशित किया गया कि (1) तहसीलदार पुष्कर प्रश्नगत आराजी बाबत निष्पादित पूर्व पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 13–6–2007 के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे (2) एक ही भूमि का दो बार विक्रय किया गया है। प्रभावित पक्षकार (अपीलांट) संबंधित के विरूद्ध फौजदारी कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है) प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा–90 बी को समझे बिना प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 25–2–2008 पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2008 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट अभिभाषक द्वारा आर.आर.डी. 1979 पृष्ठ 1 अपील नम्बर 17/सवाईमाधोपुर –75 निर्णय दिनांक 27–10–1978 बतौर नजीर प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस प्रारम्भ रखते हुए निवेदन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 13–7–2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित आराजियात को क्रय किया था एवं क्रय करने के पश्चात धारा 90 (बी) (1) भू0राजस्व अधि0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर धारा 90 बी (4) की प्रक्रिया अपनाई गई एवं उक्त समपरिवर्तन धारा 90 बी (5) भू0राज0 अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 25–2–2008 को उक्त आराजीयात को संपरिवर्तित करते हुए खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर भूमि को पुर्नग्रहित किया गया । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही धारा 90 बी (5) भू0राज0 अधि0 के अन्तर्गत की गई ।

धारा 90 बी (1) भू0राज0 अधि0 में प्रावधान प्रावधित है :–. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act. and the Rajasthan Tenancy Act. 1995 (Act No. 3 0f 1955)

Where before the commencement of the Rajasthan Laws (Amendment) Act. 1999 (Rajasthan Act, 1999 no. 21 0f 1999) any person, holding any land for agricultural purposes in Urbanisable limits or peripheral belt of an urban areaj, has used or has allowed to be used such land or part there of as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof , as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or will or any other manner, for purported non-agricultural use, the right and interest of such person in the said land or holding or part therof, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to resumed.

तथा धारा 90 (बी) (4) एवं (5) भू राजस्व अधिनियम में निम्न प्रावधान प्रावधित है। :–

The proceeding in the matter shall be conducted summarily and shall ordinarily be concluded within a period of sixty days from the first date of hearing specified in the notice sarved under sub-section (2)

Where, after hearing the parties, the collector or the officer authorized by the state government in this behalf, is of the opinion that the land is liable to be resumed under sub-section (1), he shall after recording reasons in writing,order for termination of right and interest of such person in the said land and order for resumption of the said land.

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि धारा 90 (बी) (1) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिस पर धारा 90 (बी) (4) की प्रकिया का पालना करते हुए भूमि का संपरिवर्तन धारा 90 (बी) (5) के अन्तर्गत किया गया था । धारा 90 (बी) (5) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत किये गये संपरिवर्तन आदेश के विरूद्व धारा 90 (बी) (7) के तहत प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान0 न्यायालय में निहित है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह धारा 90 (बी) (5) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत पारित किया गया था जिसकी अपील का धारा 90 (बी) (7) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत मान0 न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

धारा 90–बी (1) भू0राजस्व अधि0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर धारा 90 (बी) (4) भू0राजस्व अधि0 की प्रकिया का अनुपालन करते हुए

संपरिवर्तन आदेश धारा 90 (बी) (5) के अन्तर्गत दिया गया था । उक्त धारा धारा 90 (बी) (5) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश के विरूद्व अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान. न्यायालय में निहित है । मान0 राजस्व मण्डल ने अपने अनेकानेक निर्णय में यह सिद्धान्त पारित किया है कि :–

"RRT 2016 (1)Page 430 – Rajasthan Land Revenue Act. 1956- Sec. 90-B (3), 90-B (7) Authorized officer passed the order u/Sec. 90-B (3) Revision not maintain able before the Board-Order is appealable c/Sec. 90-B (7) Held, Revision is dismissed being not maintainable ." क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश धारा 90 (बी) (5) भू0राजस्व अधि0 के तहत पारित किया था जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा धारा 90 (बी) (7) भू0राजस्व अधि0 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है । माननीय न्यायालय को उक्त अपील को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

उक्त अपील में मान0 न्यायालय के समक्ष रूपान्तरित आदेश 25–2–2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का रूपान्तरण किये जाने के आदेश पारित कर दिये थे जबकि अधिनस्थ न्यायालय को एक निश्चित सीमा तक ही रूपान्तरण किये जाने के अधिकार थे । निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का रूपान्तरण का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वह प्रारम्भ से ही शून्य है जो प्रस्तुत अपील में प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है ।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 213 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 213 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में से खसरा नम्बर 213/2 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार मीरा देवी पत्नी गोपीराम बलाई थी जिसने विवादग्रस्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व खातेदारों से क्रय की थी। तत्पश्चात मीरा देवी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–6–2007 द्वारा अपीलांट संख्या 1 को 4 लाख रूपयें में बेचान कर दी तथा विवादग्रस्त आराजियात का कब्जा अपीलांट संख्या 1 को संभला दिया तब से उक्त भूमि पर अपीलांट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मीरा देवी ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करने के पश्चात विवादग्रस्त आराजियात को पुनः दिनांक 13–7–2007 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दो अलग–अलग विक्रय पत्रों द्वारा बिना कब्जे के अवैध रूप से बेचान कर दी जबकि दिनांक 13–6–2007 के पश्चात मीरा देवी के विवादग्रस्त आराजियात पर सभी हक व अधिकार समाप्त हो चुके थे। मीरा देवी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र अवैध व शून्य है। प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलांट्स को

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी को विवादग्रस्त आराजियात के विधिक पक्षकार के कब्जे एवं दस्तावेजी साक्ष्य की जांच किया जाना आवश्यक था। मैंने अपीलार्थी द्वारा बरवक्त बहस प्रस्तुत न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–11–2016 का भी अवलोकन किया जिसमें उनके द्वारा भी अपीलार्थी गंगाराम की अपील संख्या (45/2011) गंगाराम व अन्य बनाम ममता डेबाना व अन्य को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 938 दिनांक 6–8–2007 एवं उसके पश्चात पारित समस्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाकर निर्देशित किया गया है कि (1) तहसीलदार पुष्कर प्रश्नगत आराजी बाबत निष्पादित पूर्व पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 13–6–2007 के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे (2) एक ही भूमि का दो बार विक्रय किया गया है। प्रभावित पक्षकार (अपीलांट) संबंधित के विरूद्ध फौजदारी कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है) ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2008 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 4/2007 बउनवान सरकार बनाम ममता डेबाना में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25–2–2008 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना दोनों पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर